

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू. 131.71 करोड़ (एक सौ एकतीस करोड़ एकहतर लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू. 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू. 131.71 करोड़ (एक सौ एकतीस करोड़ एकहतर लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू. 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि का व्यय, योजना बजट के “मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष– 051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग),” विपत्र कोडः– पी 4059800510117 के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से, किया जायेगा।
- उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, कटिहार को प्रदान किया जायेगा।
- विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, कटिहार को प्रदान किया जायेगा।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार होंगे।
- आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, कटिहार से की जायेगी।
- विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- संस्थान की स्थापना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–766, दिनांक 10.09.2014 के द्वारा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कटिहार अंचल के मौजा–दलन, थाना सं.–77 के विभिन्न खेसराओं के कुल 10 (दस) एकड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भूमि पर, की जायेगी।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96वि(2), दिनांक 03.01.2008 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 18.08.2015 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–10 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–766, दिनांक 10.09.2014 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दिनांक 18.08.2015 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या– 10 पर प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. महा. –10/2007–

1961

/पटना, दिनांक–

24-8-2015

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी-3/ बजट सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह./ –

सरकार के अपर सचिव

उपरोक्त



24/8/15



सरकार के अपर सचिव

आर.डी. मन्त्र